न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 28/2018, जिला अलवर

1. महीपाल पुत्र रूपराम,
2. रामहेर पुत्र रूपराम,
3. मंगलराम पुत्र रूपराम, जाति अहीर, निवासी कान्हडका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्द पुत्र मु0 राजबाला, जाति अहीर, निवासी लोहचबूका, तहसील पटौदी, जिला गुडगांवा।
2. सुनीता पुत्री राजबाला,
3. माधोप्रसाद पुत्र राजबाला, कौम अहीर, निवासी लोहचबूका, तहसील पटोदी, जिला गुडगांवा।

— असल–रेस्पोडेन्टस

4. सन्तोष पुत्र रूपराम,
5. फूलवती बेवा रूपराम, जाति अहीर, निवासी कान्हडका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
6. ग्राम पंचायत कान्हडका पं.0स0 कोटकासिम जर्ये सरपंच।

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 15.06.2018

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से लगायत 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. रेस्पोडेन्ट नं. 4 से 6 बाद तामिल अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक –21.06.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के खिलाफ दिनांक 26.07.2018 को प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोबिन्द पुत्र मु0राजबाला ने उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1329 दिनांक 20.03.2013 जो ग्राम पंचायत कान्हडका, पं.स. कोटकासिम जिला अलवर के पेश की गई कि प्रभाती के एक पुत्र रूपराम व एक पुत्री राजबाला हुए। जिसकी विरासत का इन्तकाल अकेले रूपराम के पुत्र व पुत्रीयों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा बगैर जांच किये ही स्वीकार कर लिया है जबकि रूपराम के एक पुत्री राजबाला ओर थी। जिसके अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 पुत्र व पुत्रियां है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1329 दिनांक 20.03.2013 जो ग्राम पंचायत कान्हडका, पं.स. कोटकासिम जिला अलवर के खिलाफ गोबिन्द पुत्र मु0 राजबाला द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के समक्ष दिनांक 18.06.2013 को प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ साथ प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2018 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 1329 आज्ञा दिनांक 20.3.2018 ग्राम पंचायत कान्हडका निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाकर वारिसान की सही जांच कर पुनः फैसल करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट महीपाल पुत्र रूपराम वगै0 द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.06.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 बाद तामिल अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इन्तकाल संख्या 1329 दिनांक 20.03.2013 ग्राम पंचायत कान्हडका के विरूद्ध अपील संख्या 13/2013 तहत न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत की कि प्रभाती के एक पुत्र रूपराम व एक पुत्री राजबाला हुए। जिसकी विरासत का इन्तकाल अकेले रूपराम के पुत्र व पुत्रीयों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा बगैर जांच किये हुए स्वीकार कर लिया है जबकि रूपराम के एक पुत्री राजबाला ओर थी। जिसके अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 पुत्र व पुत्रियां है। तहत न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत होने पर 18.06.2013 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। तहत न्यायालय में मिन अपीलान्ट उपस्थित हुए व शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 13.03.2018 तक तहत न्यायालय में चलती रही। दिनांक 15.06.2018 को अपील कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत की गई और उसी दिन तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बगैर अपीलान्टान को सुने व शेष रेस्पोडेन्ट को तलब किये पारित कर दिया। तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय का निर्णय की तारीख में नहीं आता है। तहत न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि दिनांक 15.06.2018 को हर दो पक्षकारान में कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं था और ना ही गत आदिशकाओं की पालना में शेष रेस्पोडेन्टान के नोटिस जारी किये गये और ना ही तहत न्यायालय में ग्राम पंचायत कान्हडका का इन्तकाल संख्या 1329 आया था। इसके बावजूद भी तहत न्यायालय ने बगैर गत आदेशिकाओं को देखे अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत न्यायालय ने असल रेस्पोडेन्टस द्वारा यह तथ्य भी किसी दस्तावेज से साबित नहीं कराये गये कि असल रेस्पोडेन्टस राजबाला के पुत्र व पुत्रियां है और राजबाला मृतक प्रभाती की पुत्री है। तहत न्यायालय ने केवल मात्र असल–रेस्पोडेन्ट की अपील के आधार पर ही अपना निर्णय पारीत किया है। तहत न्यायालय में असल–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी। जिस सम्बन्ध में दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिस प्रार्थना पत्र का जवाब मिन अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा दफा 5 के प्रार्थना पत्र का भी कोई निर्णय नहीं किया और कानून को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। मिन अपीलान्ट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र दफा 5 में यह स्पष्ट अंकित किया था कि राजबाला अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी मे अपना समस्त हक व हिस्सा को मौखिक तौर पर मिन अपीलान्ट के पक्ष में हक त्याग कर गई थी। लेकिन तहत ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन पारीत किया है। रेस्पोडेन्ट ने तहत न्यायालय में असल–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत भी नहीं ली थी और ना ही 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र ही पेश किया। इसके बावजूद भी तहत न्यायालय ने असल–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार करने में अहम कानूनी गलती की है। तहत न्यायालय ने अपील का निस्तारण बिना दफा 5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बगैर अपीलाधीन पारीत किया है। तहत न्यायालय में असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि राजबाला की मृत्यु कब हुई और वे उसके जायज वारीस है। उपरोक्त तथ्य किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं कराये गये है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारीत करने में अहम कानूनी गलती की है। विवादित आराजी पर हम अपीलान्टान का कब्जा मृतक प्रभाती के समय से ही चला आ रहा है और आज भी मौके पर हमारा कब्जा है। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर का निर्णय अवैधानिक है। कैम्प कोर्ट में दोनों पक्षों की सहमति से ही निर्णय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.06.2018 पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 15.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.टी. 2023 I पेज 247 (2) आर.आर.टी. 2023 I पेज 1, (3) आर.आर.टी. 2023 I पेज 231, (4) आर.आर.टी. 2019 I पेज 217, (5) आर.आर.टी. 2018 II पेज 843, (6) आर.आर.टी. 2020 I पेज 204,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के खातेदार प्रभाती पुत्र रामस्वरूप की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में विवाद है। ग्राम पंचायत कान्हडका ने मृतक प्रभाती की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1329 दिनांक 20.03.2013 को प्रभाती के एक पुत्र रूपराम के पुत्र व पुत्रीयों के नाम के नाम तस्दीक किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोविन्द पुत्र मु0 राजबाला द्वारा इन्तकाल संख्या 1329 दिनांक 20.03.2013 ग्राम पंचायत कान्हडका के विरूद्ध अपील संख्या 13/2013 अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय प्रस्तुत की कि प्रभाती के एक पुत्र रूपराम व एक पुत्री राजबाला हुए। जिसकी विरासत का इन्तकाल अकेले रूपराम के पुत्र व पुत्रियों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा बगैर जांच किये स्वीकार किया गया है, जबकि रूपराम के 1 पुत्र व एक पुत्री राजबाला और थी। जिसके अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 पुत्र व पुत्रियां है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ गोविन्द पुत्र मु0 राजबाला की अपील संख्या 13/2013 गोविन्द बनाम महिपाल की अपील पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2018 पारित कर ग्राम पंचायत कान्हडका का नामान्तरकरण संख्या 1329 निरस्त किया गया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार कोटकासिम को इस आशय के साथ रिमाण्ड की गयी कि वारिसान की सही जांच कर पुनः फैसल करें। अपीलान्टस महीपाल पुत्र रूपराम वगै0 की मुख्य आपत्ति है कि तहत न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर 18.06.2013 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। तहत न्यायालय में मिन अपीलान्ट उपस्थित हुए व शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 13.03.2018 तक तहत न्यायालय में चलती रही। दिनांक 15.06.2018 को अपील कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत की गई और उसी दिन तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बगैर अपीलान्टान को सुने व शेष रेस्पोडेन्ट को तलब किये पारित कर दिया गया है। हमारा विनम्र मत है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर 18.06.2013 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। तहत न्यायालय में मिन अपीलान्ट उपस्थित हुए व शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 13.03.2018 तक तहत न्यायालय में चलती रही। दिनांक 15.06.2018 को अपील कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत की गई और उसी दिन तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बगैर अपीलान्टान को सुने व शेष रेस्पोडेन्ट को तलब किये पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.06.2018 को हस्र दो पक्षकारान में कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं था और ना ही गत आदिशकाओं की पालना में शेष रेस्पोडेन्टान के नोटिस जारी किये गये और ना ही तहत न्यायालय में ग्राम पंचायत कान्हडका का इन्तकाल संख्या 1329 आया था। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर ने बगैर गत आदेशिकाओं को देखे, प्रा. पत्र दफा 5 एवं प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्मयक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः—अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 15.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/6/18.

(असलम शेर खान)
अतिरिक्त संभागायुक्त,
जयपुर